

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)
बड़जलास श्री नीरज मिश्र, R.A.S

वादी

उषा सुथार पत्नी कन्हैयालाल जाति
सुथार निवासी गांधीनगर हाल मकान
सं० उमापति भवन सरस्वति नगर
वासनी सरोज अस्पताल के पास
जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. अशोकसिंह पुत्र ओवसिंह
 2. ईश्वरसिंह पुत्र रावतसिंह
 3. उम्मेदसिंह पुत्र गोपालसिंह
 4. कूरुमकंवर पुत्री भंवरसिंह
 5. कोमलकंवर पुत्री भंवरसिंह
 6. गंगासिंह पुत्र भंवरसिंह
 7. गजेन्द्रसिंह पुत्र गोपालसिंह
 8. गीता पुत्री अंतकंवर
 9. विकुंकुंवर पुत्री भंवरसिंह
 10. चिडियाकुंवर पुत्री गोपालसिंह
 11. छगनकुंवर पुत्री ओवसिंह
 12. धर्मीबाई पत्नी भोमसिंह
 13. नेनुकंवर पत्नी भंवरसिंह
 14. पंकुंकुंवर पत्नी देवीसिंह
 15. परबतसिंह दत्तक पुत्र देवीसिंह
 16. पुष्पा पुत्री रावतसिंह
 17. वावूसिंह पुत्र रावतसिंह
 18. मंजुकुंवर पुत्री देवीसिंह
 19. मदनकुंवर पत्नी गोपालसिंह
 20. मंशीबाई पत्नी रावतसिंह
 21. महेन्द्रसिंह पुत्र अंतकंवर
 22. रेखाकुंवर पुत्री भोमसिंह
 23. रणजीतसिंह पुत्र रावतसिंह
 24. लीलाकुंवर पुत्री भोमसिंह
 25. विकमसिंह पुत्र अंतकंवर
 26. शैतानसिंह पुत्र भीकसिंह
 27. सुकीबाई पत्नी ओवसिंह
 28. संतोषकुंवर पुत्री ओवसिंह
 29. सिन्द्रा कुंवर पुत्री रावतसिंह
 30. हरिसिंह पुत्र भोमसिंह
- सर्वजातियान राजपूत निवासीगण वेरावीलपुर
31. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज
32. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा पालडी एम
33. भूमि विकास बैंक शाखा सिरोही



विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्रसिंह राठौड

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 34/2023


—:निर्णय:—

दिनांक 19.08.2025

इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री क्रमांक 604 दिनांक 26.11.2024 की अनुपालना में तहसीलदार शिवगंज ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2025/534 दिनांक 01.08.2025 से वादग्रस्त आराजी मौजा वेरावीलपुर पटवार हल्का पालडीएम के खसरा नं० 11/2, 12, 13 रकबा क्रमशः 0.9065, 3.0675, 0.0567 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.0307 हैक्टर भूमि भूमि का विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया जिसका वादी अधिवक्ता को अवलोकन करवाया गया जिसमें उनके द्वारा सहमति प्रदान की गई।


अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यों के परिणाम स्वरूप वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानों तथा मौके व रेकॉर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि का वाद पक्षकारों के हक हिस्सा के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा तैयार कर पेश किया जो वाद पक्षकारों का हक हिस्सा अनुसार होने से स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेंगे। मार्फिक निर्णय डिक्री पर्चा मुर्तिव हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

यह निर्णय आज दिनांक 19.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
दिनांक 19.08.2025

क्रमांक/कोर्ट/2025/
प्रतिलिपि पालनार्थ:-
तहसीलदार, शिवगंज।

477


सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
शिवगंज (सिरोही)

फाईनल डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 21 रूल 6.7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बईजलास श्री नीरज मिश्र, R.A.S

वादी

उषा सुथार पत्नी कन्हैयालाल जाति
सुथार निवासी गांधीनगर हाल मकान
सं० उमापति भवन सरस्वति नगर
बासनी सरोज अस्पताल के पास
जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. अशोकसिंह पुत्र ओबसिंह
2. ईश्वरसिंह पुत्र रावतसिंह
3. उम्मेदसिंह पुत्र गोपालसिंह
4. कूसुमकंवर पुत्री भंवरसिंह
5. कोमलकंवर पुत्री भंवरसिंह
6. गंगासिंह पुत्र भंवरसिंह
7. गजेन्द्रसिंह पुत्र गोपालसिंह
8. गीता पुत्री अंतकंवर
9. चिकुकुंवर पुत्री भंवरसिंह
10. चिडियाकुंवर पुत्री गोपालसिंह
11. छगनकुंवर पुत्री ओबसिंह
12. धर्मीबाई पत्नी भोमसिंह
13. नेनुकंवर पत्नी भंवरसिंह
14. पंकुकुंवर पत्नी देवीसिंह
15. परबतसिंह दत्तक पुत्र देवीसिंह
16. पुष्पा पुत्री रावतसिंह
17. बाबूसिंह पुत्र रावतसिंह
18. मंजुकुंवर पुत्री देवीसिंह
19. मदनकुंवर पत्नी गोपालसिंह
20. मंशीबाई पत्नी रावतसिंह
21. महेन्द्रसिंह पुत्र अंतकंवर
22. रेखाकुंवर पुत्री भोमसिंह
23. रणजीतसिंह पुत्र रावतसिंह
24. लीलाकुंवर पुत्री भोमसिंह
25. विक्रमसिंह पुत्र अंतकंवर
26. शैतानसिंह पुत्र भीकसिंह
27. सुकीबाई पत्नी ओबसिंह
28. संतोषकुंवर पुत्री ओबसिंह
29. सिन्द्रा कुंवर पुत्री रावतसिंह
30. हरिसिंह पुत्र भोमसिंह
- सर्वजातियान राजपूत निवासीगण वेरावीलपुर
31. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज
32. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा पालडी एम
33. भूमि विकास बैंक शाखा सिरोही

विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्रसिंह राठौड

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद सं०— 28/2014

दिनांक 19.08.2025

वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादग्रस्त आराजी मौजा वेरावीलपुर पटवार हल्का पालडीएम के खसरा नं० 11/2, 12, 13 रकबा क्रमशः 0.9065, 3.0675, 0.0567 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.0307 हैक्टर भूमि भूमि का बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश किया, अतः वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार कर डिक्री किया जाता है।

अतः तहसीलदार शिवगंज को वादग्रस्त भूमि वादग्रस्त आराजी वादग्रस्त आराजी मौजा वेरावीलपुर पटवार हल्का पालडीएम के खसरा नं० 11/2, 12, 13 रकबा क्रमशः 0.9065, 3.0675, 0.0567 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.0307 हैक्टर भूमि भूमि का बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा बरंग प्रदर्शित अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद व राजस्व नक्शे मे तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। प्रस्तुत बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जाएगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 19.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।




(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर (सिरोही.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)

मुदाई	रुपया/पै.	मुद्रायलाह	रुपया/पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प यजाह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर मुतफरीक बाबतइजराय हुक्मनामा मीजान	-शून्य-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी गहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक मीजान	-शून्य-

क्रमांक / कोर्ट / 2025 /
प्रतिलिपि पालनार्थ:-
तहसीलदार, शिवगंज।

478

दिनांक 19.08.2025


सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)